न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— गंगाधर मीणा (R.A.S.)

अपील प्रा0 पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
08 / 2020	09.12.2020	29.12.2021

उनवान

1. मनीष कुमार पुत्र श्री फतेहसिंह उर्फ पतराम उम्र करीब 30 साल जाति अहीर निवासी ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज.

—: अपीलान्ट

बनाम

1. कमला पत्नी फतेहसिंह उर्फ पतराम
2. तेजपाल पुत्र फतेहसिंह उर्फ पतराम जाति अहीर निवासी मकडावा तहसील कोटकासिम (अलवर) राज0

—: रेस्पोडेन्ट

—: निर्णय :—

दिनांक :— 29.12.2021

1. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र रहा कि :—

1. यह है कि अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत मकडावा पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर राज0 बाबत इन्तकाल संख्या 202 दिनांक 07.06.2000 ग्राम मकडावा तहसील कोटाकासिम जिला अलवर राज0 पेश की जा रही है कि जिसकी जानकारी मिन अपीलान्त को दिनांक 20. 11.2021 को राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन करने एवं दिनांक 24.11.2021 को नकल इन्तकाल प्राप्त करने से हुई है। अपील के देरीना से पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम का अलग से पेश किया जा रहा है। अपील हाजा अविल्मब ही पेश की जा रही है।
2. यह है कि विवादित इन्तकाल संख्या 202 ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 की कृषि भूमि का है तथा अपीलान्ट भी यही का निवासी है व निर्णय ग्राम पंचायत मकडावा भी तहसील कोटकासिम में स्थित है अतः अपील हाजा काबिज समाअत अदालत श्रीमान है।
3. यह है कि आलोच्य आदेश ग्राम पंचायत मकडावा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 बावत इन्तकाल संख्या संख्या 202 दिनांक 07.06.2000 ग्राम मकडावा से प्रिज्यूडिस होकर अपील हाजा पेश की जा रही है।
4. यह है कि इन्तकाल संख्या 202 ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में दर्ज आराजीयात की फतेहसिंह उर्फ पतराम पुत्र भानी सहाय अहीर साकिन मकडावा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है जिनकी मृत्यु होने के पश्चात उक्त इन्तकाल में दर्ज आराजीयात अपीलान्ट व अन्य सह हिस्सेदारान को विरासत में प्राप्त हुई है। नकल इन्तकाल व मृत्यु प्रमाण पत्र व जमाबन्दी एवं शिक्षा प्रमाण पत्र आधार कार्ड आदी की नकले संलग्न अपील हाजा है।
5. यह है कि मिन अपीलान्ट को घर में [illegible] जबकि शिक्षा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य कागजात में [illegible] लिये वक्त [illegible] मृतक फतेहसिंह उर्फ पतराम का विरासत इन्तकाल [illegible] 202 दिनांक 07.06.2000 [illegible] ग्राम पंचायत मकडावा द्वारा मेरा नाम सहवन से मनीष कुमार की बजाय धमेन्द्र दर्ज कर दिया। जिसका अमल जमाबन्दी में है। अब मिन अपीलान्ट को कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना था जिस पर मिन अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से दिनांक 18.11.2020 को सम्पर्क किया तथा बैक कर्मचारीयान से भी राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी प्राप्त कर किसान क्रेडिट कार्ड अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:08:25 IST
Reason: SelfAttested

के हक में बनाने हेतु कहा तो बैक कर्मचारियान एवं राजस्व कर्मचारियान द्वारा मेरे नामों में भिन्नता आने के कारण किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इन्कार कर दिया जिस कारण अपीलान्ट को कृषि विकास विस्तार हेतु मिलने वाले परिलाभो से वंचित होना पड रहा है। इसलिये मिन अपीलान्ट राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज धमेन्द्र के स्थान पर मनीष कुमार पुत्र फतेहसिंह उर्फ पतराम जाति अहीर निवासी मकडावा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 दर्ज करवाने का अधिकारी हूँ। अतः अपील हाजा पेश करनी लाजिम आया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि इन्तकाल संख्या 202 दिनांक 07.06.2000 ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 के द्वारा राजस्व रिकोर्ड में जो धमेन्द्र पुत्र फतेहसिंह उर्फ पतराम दर्ज हो रहा है के स्थान पर मनीष कुमार पुत्र फतेह सिंह उर्फ पतराम अहीर निवासी मकडावा तहसील कोटकासिम जिला अलवर दर्ज किया जावें।

1. प्रार्थिया की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल नामान्तरकरण सं0 202 वाके ग्राम मकडावा, ग्राम पंचायत मकडावा, सरपंच ग्राम पंचायत मकडावा का प्रमाण पत्र, कमला का शपथ पत्र पेश की है।
2. अप्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
3. वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

   अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल में अंकित आराजी जरिये विरास्त से प्राप्त हुआ है। उक्त विरास्त इन्तकाल दर्ज करते समय मनीष कुमार के स्थान पर धर्मेन्द दर्ज होकर ग्राम पंचायम मकडावा पंचायत समिति कोटकासिंम द्वारा स्वीकार हो गया। अरइस प्रकार उक्त आदेश मातहत अदालत हरसूरत में काबिले अपास्त है।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय अपील अपीलान्ट स्वीकार होना पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी की अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश मातहत अदालत ग्राम पंचायत मकडावा पं0स0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 दिनांक 07.06.2000 बाबत इन्तकाल सं0 202 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, कोटकासिम को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी की सुनवाई कर विधिक निर्णय पारित करे।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

निर्णय आज दिनांक **29.12.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:08:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0